न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या / 53 / 2014

1. किशन सिंह पुत्र श्री कानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बडी का बास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. श्रीमती भंवर कंवर पत्नी श्री उम्मेद सिंह निवासी ग्राम बडी का बास तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी गोलछा गार्डन, अजमेर रोड जयपुर। हाल निवासी 35, जगदीश कॉलोनी लुनियावास गोनेर रोड, जयपुर।
2. उप पंजीयक सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर0टी0 एक्ट 1955
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11
सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

निर्णय **दिनांक 14.11.2019**

प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पेश किया गया। जिसमें अंकित है कि वादी द्वारा तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 05.09.1991 के आधार पर वर्तमान राजस्व वाद प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की अज्ञाप्ति हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त वसीयतनामा हेंड राइटिंग एवं फिंगर प्रिन्ट एक्सपर्ट की जांच रिपोर्ट दिनांक 23.07.1993 द्वारा फर्जी एवं कूटरचित होना सिद्व कर दिया गया है। जिसके आधार पर वादी के विरूद्व फौजदारी प्रकरण दर्ज होकर न्यायिक अभिरक्षा में रहा है तथा उक्त तथ्यों को आधार मानते हुए माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा अपील संख्या 80 / 2008 जो कि वर्तमान प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादी के विरूद्व प्रस्तुत की गई, को निर्णय दिनांक 27.07.2009 द्वारा स्वीकार किया जकार फर्जी एवं कूटरचित

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

वसीयतनामा दिनांक 05.09.1991 के आधार पर विद्वान उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.1996 को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार प्रथम दृष्टया वसीयतनामा दिनांक 05.09.1991 फर्जी एवं कूटरचित सिद्व हो जाने से वादी को वर्तमान वाद पत्र उक्त दस्तावेज के आधार पर प्रस्तुत किये जाने की कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं होने से वाद पत्र प्रथम दृष्टया विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्त फरमाये जाने योग्य है। वादी द्वारा वाद पत्र की चरण संख्या तीन में उल्लेखित अनुसार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष विचाराधीन अपील संख्या 8591/2009 में दिनांक 21.05.2014 को राजीनामा होना अंकित किया गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किसी प्रकार से कोई राजीनामा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया। अपितु फर्जी एवं कूटरचित तरीके से दस्तावेज एवं मुख्तयारनामा तैयार कराते हुए राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिस पर किसी प्रकार का निर्णय पारित किये जाने से पूर्व ही दिनांक 28.05.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त संबंध में प्रार्थना पत्र जरिये फैक्स प्रस्तुत कर दिये जाने से राजीनामा स्वीकृत नहीं किया गया तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.09.2014 नियत है। इस प्रकार वादी के हक में तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 05.09.1991 फर्जी एवं कूटरचित होने तथा वादी के हक में किसी प्रकार का कोई राजीनामा स्वीकार नहीं होने से वादी द्वारा अपरिपक्व रूप में बिना किसी आधार के वर्तमान वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा वर्तमान वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व विधि के तहत आज्ञापक सिद्धान्तों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को दो माह का पूर्व विधिक सूचना पत्र प्रेषित नहीं किया गया है तथा ना ही उसकी क्षमा हेतु कोई पृथक से प्रार्थना पत्र वर्तमान वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रथम दृष्टया विधि के आज्ञापक सिद्धान्तों की पालना नहीं किये जाने से भी वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्त फरमाये जाने योग्य है। जब संभागीय आयुक्त जयपुर अपने आदेश दिनांक 29.07.2009 से उक्त वसीयतनामा को फर्जी एवं कूटरचित होना करार दिया जाकर वादी के विरूद्व आदेश पारित किया गया। इस प्रकार स्थाई निषेधाज्ञा की अज्ञाप्ति हेतु समयावधि जानकारी की तिथि 29.07.2009 से तीन वर्ष रही है जबकि वादी द्वारा वर्तमान वाद पत्र दिनांक 11.07.2014 को प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद–पत्र प्रथम दृष्टया विधि द्वारा वर्जित होने से मय खर्चे निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी/वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें अंकित है कि वादी के हक में वसियतनामा दिनांक 05.09.91 आज दिन तक किसी भी न्यायालय ने निरस्त नही किया है प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा फौजदारी प्रकरण व तथाकथित हेड राईटिंग एवं फिंगर प्रिन्ट एक्सपर्ट के आधार पर वादी के हक में

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

निष्पादित वसियत को फर्जी एवं कुटरचित होने का कथन गलत होने के कारण अस्वीकार है। संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा अपील संख्या 80/2008 में पारित निर्णय दिनांक 29.07.2009 का गलत अंकन किया गया है जबकि न्यायालय संभागीय आयुक्त ने अपना निर्णय उखण्ड अधिकारी को धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत् खातेदारी अधिकार प्रदान करने के कोई अधिकार नही दिये जाने का कथन कर क्षेत्राधिकार के बाहर अपीलाधीन आदेश पारित होना मानते हुए खारिज किया। उक्त संभागीय आयुक्त द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व अपील न्यायालय राजस्थान राजस्व मण्डल के समक्ष विचाराधीन है। वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के खातेदार नारायणसिंह पुत्र कायम सिंह का वसियती उत्तराधिकारी है जिसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तृतीय अनुसुची के आईटम नंबर 5 के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष खातेदारी अधिकारो की घोषणा के लिए वाद प्रस्तुत किया है। माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष अपील संख्या 8591/2009 दिनांक 21.05.2014 को राजीनामा स्वयं प्रतिवादिया ने प्रस्तुत किया है जिसे उसके अधिवक्ता द्वारा पहचान किया है। उक्त राजीनामा रजिस्ट्रार राजस्व मण्डल के समक्ष तस्दीक हुआ है। उक्त राजीनामा को प्रार्थी द्वारा फर्जी एवं कुटरचित कहने का कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रारूपिक पक्षकार है जिनके विरूद्व कोई मुख्य अनुतोष आक्षेपित नही है अन्यथा भी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्व दो माह का नोटिस दिये जाने की आपत्ति किये जाने का प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार नही है। कानूनन वाद कारण तथ्य एवं विधि का मिश्रित बिन्दु है जो की साक्ष्य के आधार पर तय किये जाना है। प्रतिवादी का उक्त कथन में वर्णित कथन वादिया का वाद समयावधि के कारण निरस्त किये जाने योग्य है गलत होने से अस्वीकार है। जवाब प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त कथन में अंकित है कि प्रतिवादीगण ने अभी तक वाद पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया है इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा अभी तक किसी प्रकार का विरोधाभाषी अभिवंचन नही लिया गया है वाद पत्र का जवाब एवं प्रार्थना पत्र का जवाब दिये जाने से पूर्व उक्त आवेदन प्रस्तुत किया जाना विधि सम्मत नही हैं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र आवश्यक अभिवचनों के अभाव में चलने योग्य नही है प्रतिवादीगण के उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किये जाने से पूर्व प्रतिवादीगण का जवाब दावा लिया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निर्णय किये जाने से पूर्व माननीय न्यायालय को अनेक तथ्यात्मक बातो के बारे में निर्णय लिया जाना आवश्यक है। ऐसे तमाम निर्णय लिये जाने हेतु अभिवचन रिकार्ड पर लिया जाना विवाद्यको की रचना की जाना एवं साक्ष्य के आधार पर उनका निर्धारण किया जाना आवश्यक है। अभी तक वाद प्रारम्भिक स्तर पर है अतः उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रतिवादी की ओर से कोई शपथ

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

या साक्ष्य आदि नही होने से केवल वाद पत्र के तथ्यो पर ही गौर किया जाना संभव है एवं इस स्तर पर प्रतिवादी को उपलब्ध प्रतिरक्षाओ पर किसी भी प्रकार का विचार किया जाना विधि सम्मत नही है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर वाद पत्र को सुनवाई हेतु निरन्तर जारी रखने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पर बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी ने लिखित बहस पेश की। लिखित बहस में प्रार्थी/प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिकथनो का विवेचन किया व न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2005 पेज नंबर 2001 सुप्रीम कोर्ट 1998 आर.बी.जे. 426, आर.आर.टी. 2011 पेज नंबर 1398, 1994 आर.बी.जे. पेज नंबर 122 प्रस्तुत किये।

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर लिखित बहस व पत्रावली का मय दस्तावेजात व न्यायिक दृष्टांत अवलोकन किया गया। अप्रार्थी/वादी ने न्यायालय के समक्ष वाद पत्र 1/2 हिस्से का स्व0 नारायणसिंह पुत्र कायमसिंह की वसीयत के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। लेकिन उक्त वसीयतनामा दिनांक 05.09.1991 को हेंड राइटिंग एवं फिंगर प्रिन्ट एक्सपर्ट Krishna charan के क्रमांक No. G/17/93/133. दिनांक 26.07.1993 की जांच रिपोर्ट द्वारा वसीयत पर अंकित हस्ताक्षर नारायणसिंह पुत्र कायमसिंह के नही बताये है। तथा माननीय संभागीय आयुक्त न्यायालय द्वारा भी अपील संख्या 80/2008 में अपने निर्णय दिनांक 29.07.2009 द्वारा वसीयत दिनांक 05.09.1991 को अनरजिस्टर्ड वसीयत माना है। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर द्वारा वादी के पक्ष में पारित आदेश दिनांक 16.05.1996 को निरस्त कर दिया है। उक्त विवेचनो के आधार पर जब तक वादी वसीयत दिनांक 05.09.1991 की वैद्यता को सक्षम सिविल न्यायालय से निर्णित नही करवा लेते राजस्व न्यायालय में खातेदारी घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 की परिधि में होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.11.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2019.12.13 12:36:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: